17

न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

मिस0रेम0अपील वाद सं0–03/2017–18

धर्मेन्द्र कुमार सिंह
बनाम
मो0 अनवर हुसैन वगैरह

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

आदेश

यह अपील वाद अपीलकर्त्ता के द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के राजस्व विविध वाद सं0–60/2017–18 में दिनांक 17.06.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

प्रश्नगत मामला संक्षेप में यह है कि इस वाद के उत्तरवादी सं0–2 मो0 अनवर हुसैन, पिता–मो0 सुल्तान अंसारी, सा0–थानापाड़ा, जिला–पाकुड़ के द्वारा निम्न न्यायालय में मौजा–पाकुड़ के जमाबन्दी नं0–477 के दाग सं0–1230 अन्तर्गत अपनी निज भमि पर अवस्थित घर के पश्चिम दिशा में स्थित पुराने गेट/दरवाजे को पुनः लगाने हेतु एक आवेदन दाखिल किया गया। जिसपर निम्न न्यायालय द्वारा रा0वि0वाद सं0–60/2017–18 संस्थित करते हुए सुनवाई के उपरान्त दिनांक 12.06.2017 को पारित आदेश द्वारा आवेदक (इस वाद के उत्तरवादी सं0–2) को दरवाजे की मरम्मति की स्वीकृति दी गई। अपीलकर्त्ता (धर्मेन्द्र कुमार सिंह, पिता–स्व0 जगदीश सिंह, सा0–थानापाड़ा, जिला–पाकुड़) द्वारा इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील वाद यह कहते हुए दायर किया गया है कि उत्तरवादी नं0–2 मो0 अनवर हुसैन का प्रश्नगत दरवाजा उनकी भूमि पर खुलता है, प्रश्नगत वाद को निम्न न्यायालय द्वारा Crpc की धारा 147 में परिवर्तित करते हुए सुनवाई किया जाना चाहिए था तथा प्रश्नगत मामला स्वत्व से संबंधित है जिसका निर्धारण सक्षम न्यायालय ही कर सकती है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत अन्तिम बहस को सुना गया। उभय पक्ष के द्वारा लिखित बहस भी दाखिल किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि मौजा–पाकुड़ नं0–128 के जमाबन्दी नं0–477 के दाग नं0–1230 अन्तर्गत जमीन अपीलार्थी की मां की खरीद की हुई भूमि है, जिसपर अपीलार्थी घर बनाकर बसोबास कर रहे है। उत्तरवादी सं0–2

30/1/2021

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

का घर अपीलकर्त्ता के घर से ठीक सटे दक्षिण–पश्चिम दिशा में है तथा दक्षिण की ओर उनका निकास है। एक बड़ा दरवाजा दक्षिण की ओर है जिससे उत्तरवादी सं0–2 आना जाना करते है। विवाद के बाद उत्तरवादी सं0–2 के द्वारा तीन और दरवाजा दक्षिण की ओर खोला गया है।

उनका आगे कहना है कि अपीलार्थी का एकमात्र निकास 5 फुट चौड़ी गली है जिससे वह आना–जाना करते है। यह गली अपीलकर्त्ता का नीजि गली है।

उक्त रांस्ते का वैध दस्तावेज अपीलकर्त्ता के पास उपलब्ध है। उत्तरवादी सं0–2 के द्वारा एक नया गेट पश्चिम दिशा में अपीलकर्त्ता के गली के तरफ खोला जाने लगा जिसका विरोध अपीलार्थी द्वारा किया गया। विरोध करने पर उत्तरवादी सं0–2 के द्वारा दिनांक 24.04.2017 को विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ को एक आवेदन दिया गया जिसपर तत्कालीन अंचल अधिकारी, पाकुड़ एवं श्रीमती सुनीता किस्कू, कार्यपालक दण्डाधिकारी, पाकुड़ से प्रतिवेदन की मांग की गई। उनका आगे कहना है कि जांच प्रतिवेदन दिनांक 26.04.2017 को समर्पित किया गया जबकि रा0वि0 वाद दिनांक 15.05.2017 को संस्थित किया गया। उनका आगे कहना है कि यह काफी महत्वपूर्ण है कि उत्तरवादी सं0–2 द्वारा दिनांक 15.05.2017 को दाखिल आवेदन के आधार पर रा0वि0वाद सं0–60/2017–18 संस्थित किया गया। नियमतः मुकदमा दर्ज करने के बाद ही जांच प्रतिवेदन मांगा जाता है परन्तु इस मामले में मुकदमा दर्ज करने के पूर्व ही जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जो भ्रामक है।

उनका आगे कहना है कि जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद अपीलकर्त्ता द्वारा निम्न न्यायालय में एक आवेदन दाखिल कर उक्त वाद को द0प्र0सं0 की धारा 147 में परिवर्तित करने का अनुरोध किया गया। परन्तु निम्न न्यायालय द्वारा उनके उक्त आवेदन को खारिज करते हुए दिनांक 17.06.2017 को उत्तरवादी के पक्ष में आदेश पारित कर दिया गया।

उनका आगे कहना है कि आवेदक को सुना नहीं गया और न उनसे कागजात की मांग की गई। कानूनन रास्ते के विवाद के लिए द0प्र0सं0 की धारा 147 का मुकदमा होता है जिसमें दोनों पक्षों की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आदेश पारित किया जाता है।

उनका आगे कहना है कि यदि उत्तरवादी सं0–2 अपनी जमीन पर दरवाजा

30.11.2021

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

खोलता जिससे अपीलार्थी को कोई परेशानी नहीं होती तो अपीलार्थी द्वारा उसके दरवाजा खोलने पर विवाद करने का कोई औचित्य नहीं था।

अपीलार्थी का आगे कहना है कि उत्तरवादी सं0–2 के द्वारा निम्न न्यायालय में तथ्य को छुपाते हुए गलत आवेदन यह कहते हुए दाखिल किया गया कि पुराना दरवाजा को खोलकर नया दरवाजा लगा रहा हुँ। जबकि वास्तव में उसका पूर्व से कोई दरवाजा नहीं था। उत्तरवादी सं0–2 द्वारा जांच पदाधिकारी को अपने प्रभाव में लेकर उक्त आदेश पारित कराया गया है जो सरासर गलत है।

उनके द्वारा निम्न न्यायालय को उक्त वाद को धारा 147 के तहत परिवर्तित कर साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत कार्रवाई करने हेतु Remand करने का अनुरोध किया गया।

उत्तरवादी सं0–2 के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि मौजा–पाकुड़ नं0–128 के जमाबन्दी नं0–477 के दाग सं0–1230 अन्तर्गत रकवा 0–11–2½ धुर जमीन मो0 सुल्तान अंसारी (उत्तरवादी सं0–2 के पिता) के द्वारा विभिन्न निबंधित विक्रय केवाला एवं Deed of Exchange के माध्यम से क्रय/प्राप्त किया गया है। उक्त जमीन पर उत्तरवादी सं0–2 के पिता द्वारा घर बनाया गया है तथा सम्पूर्ण जमीन पर शान्तिपूर्वक भोग–दखल किया जा रहा है तथा अंचल सिरिस्ता में दाखिल खारिज कराकर लगान अदा किया जाता रहा है।

वर्ष 1990 में दाग सं0–1230 के पूर्व भू–स्वामी अमिय कुमार सिन्हा एवं उत्तरवादी सं0–2 के पिता–सुल्तान अंसारी के द्वारा आपसी सहमति के आधार पर एक Exchange Deed No.- 5002 दिनांक 05.12.1990 निष्पादित किया गया जिसमें उत्तरवादी सं0–2 के पिता द्वारा दाग सं0–1230 अन्तर्गत अपनी 5 धुर जमीन (46′X4′) जमीन अमिय कुमार सिन्हा को देने के बदले में उनसे 12½ धुर जमीन प्राप्त किया गया।

उक्त बदलनामा के बाद उत्तरवादी सं0–2 के पिता के द्वारा अपनी भूमि के पश्चिम सीमा पर पक्का दीवार निर्मित कर उसके दक्षिण छोर पर एक 8 फीट चौड़ा लोहा का गेट लगाया गया। उनका आगे कहना है कि उक्त दीवार का निर्माण अपनी 46′X1½′ भूमि छोड़कर किया गया। बाद में उत्तरवादी सं0–2 के पिता एवं अन्य के

2021

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

द्वारा एक देवता प्रसाद तिवारी से निबंधित विक्रय केवाला सं0–1394 /200 दिनांक 26.04.2000 के माध्यम से पूर्व से पश्चिम 85 फीट लम्बा तथा उत्तर से दक्षिण 6 फीट चौड़ी जमीन खरीदी गई। उक्त 85'X 6' जमीन को क्रय करने का उद्धेश्य उक्त जमीन तथा 46'X4' लम्बे रास्ते को राज हाई स्कूल रोड से जोड़ना था। उक्त दोनों भूमि का उपभोग रास्ते के रूप में शान्तिपूर्वक किया जाता रहा है। उनका आगे कहना है कि दाग सं0–1230 में उत्तरवादी सं0–2 के पिता की कुल 0–11–2½ धुर जमीन है जिसके पूर्व हिस्से में पक्का मकान बना है तथा उनके परिवार के द्वारा वर्ष 1990 से हमेशा उक्त 46'X4' जमीन का उपभोग Common passage के रूप में किया जाता रहा है।

उनका आगे कहना है कि अपनी उक्त भूमि के Western boundary wall पर एक Iron gate था जिसका Clamps प्राकृतिक कारणों से टुट जाने के कारण उसकी मरम्मति कर पुनः लगाने के क्रम में अपीलार्थी एवं अन्य के द्वारा बाधा उत्पन्न करने के कारण उत्तरवादी सं0–2 के द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के समक्ष दिनांक 24.04.2017 को उक्त Iron gate को लगाने के संबंध में एक आवेदन दाखिल किया गया। उक्त आवेदन तथा परिस्थिति को देखते हुए तथा विधि व्यवस्था को बनाए रखने के उद्धेश्य से निम्न न्यायालय द्वारा रेम0मिस0वाद सं0–60/2017–18 संस्थित करते हुए कार्यपालक दण्डाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, पाकुड़ से संयुक्त स्थल जांच प्रतिवेदन की मांग की गई। संयुक्त जांच प्रतिवेदन दिनांक 27.04.2017 को प्राप्त हो गया तथा सुनवाई के उपरान्त दिनांक 17.06.2017 को आदेश पारित किया गया। अपीलार्थी के द्वारा इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया गया है।

उनका आगे कहना है कि जांच पदाधिकारी के द्वारा अपने प्रतिवेदन में यह स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित किया गया कि उत्तरवादी सं0–2 का उक्त Iron gate काफी पुराना है तथा काफी समय पूर्व से विद्यमान है। यह भी प्रतिवेदित किया गया कि उक्त Iron gate मुख्य दरवाजा है तथा धर्मेन्द्र कुमार सिंह (इस वाद के अपीलार्थी) एवं अन्य की केवल इस बात पर आपत्ति है कि दरवाजा ऊँचा कर बनाया जा रहा है। उनका आगे कहना है कि उक्त Iron gate उत्तरवादी सं0–2 की निजी भूमि पर निर्मित है तथा इससे आवागमन में कोई बाधा नहीं है। अपीलार्थी का भी उसी 46'X4' जमीन से सटे दरवाजा है। उनका आगे कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा बिल्कुल सही

30.1.2021

Scanned with CamScanner

श की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

Observetion दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति सुविधानुसार रास्ते पर आवागमन हेतु दरवाजा खोल सकता है। अतः कार्यवाही को Crpc की धारा 147 में परिवर्तित करना नियमानुकूल नहीं है। निम्न न्यायालय द्वारा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों/जांच प्रतिवेदन के आधार पर बिल्कुल सही निर्णय पारित करते हुए उत्तरवादी सं0–2 को अपने पुराने गेट को लगाने की अनुमति प्रदान किया गया एवं विपक्षी (इस वाद के अपीलार्थी) के आपत्ति को खारिज किया गया। उनके द्वारा अपील आवेदन को अस्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना, उनके द्वारा दाखिल लिखित अभिकथन/कागजात तथा निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

प्रश्नगत मामले में किसी औचित्यपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचने एवं निर्णय पारित करने के पूर्व निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जाना आवश्यक है :–

(1) क्या उत्तरवादी नं0–2 का प्रश्नगत दरवाजा पूर्व से विद्यमान था?

(2) प्रश्नगत दरवाजा किसकी भूमि पर निर्मित है।

(3) प्रश्नगत गली 46′X4′ भूमि पर अपीलार्थी के दावा का आधार।

(4) क्या प्रश्नगत मामला Crpc की धारा 147 में परिवर्त्तन करने योग्य है?

अपीलार्थी का कहना है कि प्रश्नगत दरवाजा पूर्व से नहीं था। अपने लिखित अभिकथन के पारा 10 में उनके द्वारा यह बात कही गई है। निम्न न्यायालय के अभिलेख में उपलब्ध कार्यपालक दण्डाधिकारी, पाकुड़ के पत्रांक 190/सा0, दिनांक 27.04.2017 का अवलोकन किया गया। उक्त जांच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, पाकुड़ एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी, पाकुड़ का संयुक्त जांच प्रतिवेदन है। जांच प्रतिवेदनानुसार मौजा–पाकुड़ नं0–128 अन्तर्गत दाग सं0–1230 में होल्डिंग सं0–8392 में रकवा 0–1–10 धुर एवं होल्डिंग नं0–2775 में रकवा 0–9–12½ धुर जमीन कुल रकवा 0–11–2½ धुर जमीन पंजी–।। में मो0 अनवर हुसैर अंसारी के पिता सुल्तान मियां के नाम से दर्ज है। जिसपर मो0 अनवर हुसैन का घर बना हुआ है। इस दाग के पश्चिम तरफ पुराना गेट अनवर हुसैन अंसारी का बना हुआ है। जिसे खोलकर प्रथम पक्ष रिपेयरिंग करके पुनः गेट लगाना चाहते है। द्वितीय पक्ष राजू सिंह, धर्मेन्द्र सिंह का अनवर हुसैन अंसारी के गेट के सामने ही एक गेट बना हुआ है। द्वितीय पक्ष आगे 5 फीट बढ़ाकर दीवार देकर अनवर हुसैन अंसारी का गेट बन्द करना चाहते है। जांच

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित किया गया है कि –

(1) मो0 अनवर हुसैन अंसारी का दरवाजा पूर्व से बना हुआ था तथा दरवाजा का उपयोग किया जाता था।

(2) मो0 अनवर हुसैन अंसारी का यह मुख्य दरवाजा है इसके अतिरिक्त पीछे तरफ भी एक दरवाजा है।

इसी संदर्भ में राजू सिंह जो निम्न न्यायालय में विपक्षी नं0–1 थे, के द्वारा दिनांक 02.05.2017 को दाखिल आवेदन का अवलोकन किया गया जो निम्न न्यायालय के अभिलेख के पृष्ठ सं0–46 में संधारित है। उक्त आवेदन में यह अंकित है कि " . . . . मैंने अंचल अधिकारी, पाकुड़ को एक एक्सचेंज डीड दिया था जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि मो0 सुल्तान का उस जमीन पर (मेरे नीजि गली पर) कोई अधिकार नहीं है और जो दरवाजा मेरी गली तरफ वे खोलना चाहते है वह कई वर्षो से बन्द था जिसपर कभी आवागमन नहीं हुआ।"

उत्तरवादी सं0–2 के द्वारा दाखिल निबंधित विक्रेय केवाला सं0–1394 दिनांक 26.04.2000 के प्रति के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मौजा–पाकुड़ के दाग सं0–1281 में से 14 धूर (85'X4') जमीन मो0 सुल्तान, पिता– अमीर हमजा, अब्दुल रज्जाक बिश्वास, पिता–हसन अली तथा राजू कुमार सिंह,पिता–जगदीश प्रसाद सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से रास्ते के परियोजन के लिए देवता प्रसाद तिवारी से क्रय किया गया था। यहां क्रेता मो0 सुल्तान उत्तरवादी सं0–2 के पिता है एवं राजू कुमार सिंह अपीलार्थी के भाई है। यह वही रास्ता है जो उत्तरवादी सं0–2 के घर के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है एवं इसी रास्त में प्रश्नगत गली (46'X4') आकर मिलती है। उक्त निबंधित दस्तावेज से एक तथ्य स्पष्ट होता है कि उक्त निबंधित दस्तावेज जो वर्ष 2000 में निष्पादित है के पूर्व उत्तरवादी सं0–2 के दक्षिण दिशा में कोई रास्ता नहीं था। यह तथ्य उत्तरवादी सं0–2 के उक्त दावे को प्रमाणित करता है कि प्रश्नगत दरवाजा वर्ष 1990 से विद्यमान है, जबकि शपथ पत्र जिसके माध्यम से प्रश्नगत गली क्रय की गई है वह वर्ष 2011 का है।

उक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत दरवाजा पूर्व से विद्यमान था।

विचारण के बिन्दु 2 के संदर्भ में अपीलार्थी के द्वारा ऐसा कोई भी कागजात

30.1.2024

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

/दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि प्रश्नगत दरवाजा उत्तरवादी नं0–2 की भूमि पर न होकर उनकी भूमि पर है। दूसरी तरफ उत्तरवादी सं0–2 के द्वारा दाखिल अमीन नापी वाद सं0–29/13 में अमीन नापी प्रतिवेदन दिनांक 02.01.2014 से स्पष्ट है कि प्रश्नगत दरवाजा उत्तरवादी सं0–2 के नीजि भूमि पर अवस्थित है। क्योंकि उसके बाद भी उनकी 1½'X 46' भूमि शेष है।

उत्तरवादी सं0–2 द्वारा दाखिल कागजातों से स्पष्ट होता है कि उक्त अमीन नापी के दौरान अपीलार्थी की ओर से राजू सिंह एवं उत्तरवादी नं0–2 के साथ–साथ अन्य स्थानीय लोग भी उपस्थित थे तथा उभय पक्षकार के द्वारा नीजि अमीन भी रखा गया था।

विवेचना के विन्दु 3 के क्रम में अपीलार्थी द्वारा दो आधार दिये गए है:–

(1) भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पर निष्पादित शपथ पत्र सं0–10364 दिनांक 25.08.2011 जो उदयन कुमार सिन्हा, पिता–स्व0 अमिय कुमार सिन्हा के द्वारा निष्पादित है, की छायाप्रति।

(2) अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के कि0मिस0वाद सं0–357/2014 में पारित आदेश एवं अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ द्वारा निर्गत आदेश ज्ञापांक 05/गो0, दिनांक 08.01.2015 की छायाप्रति।

उक्त शपथ पत्र के माध्यम से उदयन कुमार सिन्हा पिता–अमिय कुमार सिन्हा द्वारा प्रश्नगत दाग सं0–1230 अन्तर्गत 5 धुर 46'X4' भूमि खैरून बीबी, पति स्व0 जगदीश प्रसाद सिंह को 25,000/–(पचीस हजार) रूपये में विक्रय किया गया है। स्व0 जगदीश प्रसाद सिंह अपीलार्थी के पिता है। शपथ पत्र के द्वारा क्रय की गई भूमि वही 46'X4' की गली है जिसको लेकर अपीलार्थी का दावा है कि वह उनकी नीजि भूमि है।

प्रथम आधार Registration Act 1908 की धारा 17 (I) (b) के अनुरूप नहीं है। इसलिए इसे विधिसम्मत आधार नहीं माना जा सकता है। Registration Act 1908 की धारा 17 (I) (b) का उद्धहरण निम्न प्रकार है :–

17. **Documents of which registration is compulsory.**- (I) The following doucuments shall be registered, if the property to which they relate is situate in a district in which, and if they have been executed on or after the

30.1.2021

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

date on which, Act No.- XVI of 1864, or the Indian Registration Act 1866 (20 of 1866), or the Indian Registration Act 1871 (8 of 1871) or the Indian Registration Act, 1877 (3 of 1877), or this Act came or comes into force, namely:

(b) other non-testamentary instruments which purport or operate to create, declare, assign, limit or extinguish whether in present or in future, anyright, title or interest, whether vested or contingent, of the value of one hundred rupees and upwards, to or in immoveable property;

यह स्पष्ट है कि 100/– रूपये से अधिक मूल्य की किसी भूमि का निबंधन आवश्यक है।

दूसरे आधार के रूप में दाखिल अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के कि0 मिस0 वाद सं0– 357/2014 में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अपने आदेश में यह स्वयं दर्ज किया गया है कि :" . . . . स्पष्ट है कि प्रश्नगत गली 46'X4' भूमि पर अपीलार्थी का दावा स्पष्ट नहीं होता है और स्वत्व का निर्धारण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है।"

विवेचना के बिन्दु 4 के संदर्भ में अपीलार्थी का कहना है कि निम्न न्यायालय में उनके द्वारा वाद को Crpc की धारा 147 में परिवर्तित कर सुनवाई करने का अनुरोध किया गया था परन्तु निम्न न्यायालय द्वारा उनके आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। उनके द्वारा अपने लिखित अभिकथन में भी यही अनुरोध किया गया है। Crpc की धारा 147 (1) का उद्धहरण निम्नवत है:–

147(1) " Whenever Executive Magistrate is satisfied from the report of a police officer or upon other information, that a dispute likely to came a breach of the peace exists regarding any alleged right of user of any land or water within his local jurisdiction, whether such right be claimed as an easement or otherwise, he shall make an order in writing, stating the grounds of his being so satisfied and requiring the parties concerned in such dispute to attend his court in person or by pleader on a specified date and time and to put in written statement of their respective claims"

30/1/2021

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। निम्न न्यायालय में इस वाद के अपीलार्थी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 25.04.2017 एवं उत्तरवादी सं0–2 के द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 24.04.2017 की प्रति अंचल अधिकारी, पाकुड़ तथा श्रीमती सुनीता किस्कू, कार्यपालक दण्डाधिकारी, पाकुड़ को उपलब्ध कराते हुए जांच प्रतिवेदन की मांग की गई थी। उक्त दोनों ही आवेदन धारा 147 के तहत कार्रवाई प्रारंभ करने से संबंधित नहीं है। जहां मो0 अनवर हुसैन अंसारी (इस वाद के उत्तरवादी–2) के द्वारा प्रश्नगत गेट लगवाने के लिए आवेदन दिया गया था वहीं दूसरी ओर धर्मेन्द्र कुमार सिंह (इस वाद के अपीलार्थी) के द्वारा मो0 अनवर हुसैन अंसारी के आवेदन को निरस्त करने एवं दरवाजे की जगह को दीवार से बन्द करने का आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया था।

संयुक्त जांच प्रतिवेदन में भी यह स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित किया गया है कि " मो0 अनवर हुसैन अंसारी द्वारा लगाये गए दरवाजे से द्वितीय पक्ष धर्मेन्द्र कुमार सिंह, राजू सिंह वगैरह को सिर्फ इतना आपत्ति है कि दरवाजा ऊँचा कर बनाया जा रहा है।"

स्पष्ट है कि उभय पक्ष के द्वारा धारा 147 के तहत आवेदन नहीं दिया गया था तथा जांच प्रतिवेदन में भी विवाद की वजह गली के उपयोग की जगह दरवाजे को ऊँचा कर बनाया जाना प्रतिवेदित किया गया है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि Crpc की धारा 147 के प्रावधान के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी किसी पुलिस पदाधिकारी अथवा किसी अन्य सूचना के आधार पर Crpc की धारा 147 के तहत कार्रवाई प्रारंभ किया जा सकता है। यदि अपीलार्थी को ऐसा लगता है कि प्रश्नगत मामले में Crpc की धारा 147 के तहत कार्यवाही आवश्यक है तो Executive Magistrate/ अनुमंडल दण्डाधिकारी के समक्ष इस आशय का आवेदन दाखिल कर सकते हैं। परन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं कर प्रश्नगत मामले को Crpc की धारा 147 के तहत परिवर्तित करने का अनुरोध किया गया है जो वाद की प्रकृति को देखते हुए उचित प्रतीत नहीं होता है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि स्वयं अपीलार्थी के द्वारा अपने मूल अपील आवेदन के Grounds के पारा (iv) में यह उल्लेख किया गया कि प्रश्नगत मामला स्वत्व (Tilte) का है तथा केवल सिविल कोर्ट ही right, title and Interest of possession का

30.1.2021

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

निर्णय कर सकते है।

यहां विचारणीय है कि धारा 147 के तहत कार्यवाही किसी Land या water के user right के लिए breach of peace की संभावना को देखते हुए प्रारंभ की जाती है। यहां उल्लेखनीय है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बाद प्रश्नगत जमीन को लेकर उभय पक्ष के बीच शान्ति भंग होने की किसी भी घटना का अपीलार्थी द्वारा न तो उल्लेख किया गया है और न ही इस संदर्भ में साक्ष्य स्वरूप कोई कागजात समर्पित किया गया है। जिससे प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि को लेकर breach of peace जैसी कोई स्थिति नहीं है जो धारा 147 के तहत कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए एक मुख्य बिन्दु है।

इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा यह भी कहा गया है कि निम्न न्यायालय में जांच प्रतिवेदन पहले प्राप्त किया गया एवं वाद की कार्यवाही बाद में प्रारंभ की गई। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि कई बार प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट होना चाहते हैं कि किसी मामले में वाद प्रारंभ करना आवश्यक है अथवा नहीं इस हेतु पहले जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया जाता है। इससे किसी मामले के merit में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

उभय पक्ष के द्वारा उभय पक्ष के बीच पूर्व में हुए किमिनल केस में पारित आदेश की छायाप्रति दाखिल किया गया है। अपीलार्थी द्वारा Juvenile Justice Board, Pakur के GR-126/13- TR-05/17 में दिनांक 24.01.2017 को पारित आदेश की प्रति दाखिल किया गया है जिसमें उत्तरवादी सं0–2 के एक भाई को दण्डित किया गया है। उक्त वाद में घटना की तिथि 05.02.2013 है।

उत्तरवादी सं0–2 के द्वारा माननीय CJM पाकुड़ के न्यायालय के GR-125/13- TR-591/2020 में दिनांक 20.03.2020 को पारित आदेश की छायाप्रति दाखिल किया गया है जिसमें इस वाद के अपीलार्थी को दण्डित किया गया है। उक्त वाद में भी घटना की तिथि 05.02.2013 ही है।

उक्त दोनों ही आदेश इस वाद में प्रासंगिक नहीं है। संभवतः उभय पक्ष यह सिद्ध करना चाहते हों कि विवाद दूसरे पक्ष के द्वारा किया जाता है। उक्त दोनों ही वाद में घटना की तिथि 05.02.2013 है जो निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के काफी पूर्व की है तथा अपीलार्थी यह सिद्ध नहीं कर सके है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित

30.1.2021

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

आदेश के बाद Breach of peace की कोई संभावना प्रश्नगत भूमि को लेकर बनी है।

उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत गली 46'X4' deed of exchange no.- 5002/05.12.1990 के बाद से ही विद्यमान है तथा उक्त गली के पूर्व दिशा में उत्तरवादी सं0–2 का निजी 1½'X46' जमीन छोड़कर दीवार है जिसपर उत्तरवादी सं0–2 का दरवाजा उनकी निजी भूमि पर काफी पूर्व से विद्यमान है।

निम्न न्यायालय द्वारा उत्तरवादी सं0–2 को दरवाजे की मरम्मति की अनुमति प्रदान की गई है तथा यह अपील उसी आदेश के विरूद्ध है। इस न्यायालय द्वारा यह देखा जाना है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई कानूनी त्रुटि तो नहीं है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश एक कार्यपालक आदेश है तथा अपीलार्थी भी इस तथ्य को स्वीकार करते है, क्योंकि उनके द्वारा यह अपील बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली 1958 की धारा 3 के तहत दाखिल किया गया है।

इस प्रकार निम्न न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाते हुए रा0वि0 वाद सं0–60/2017–18 में दिनांक 17.06.2017 को पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

जहां तक प्रश्नगत गली के स्वत्व का प्रश्न है, तो इस संबंध में अपीलार्थी उक्त गली के स्वत्व निर्धारण हेतु समक्ष न्यायालय की शरण में जा सकते है।

उभय पक्ष के अधिवक्ता को अवगत करावें।

लेखापिता एवं संशोधित।

30.1.2024

उ पा यु क्त,
पाकुड़।

30.1.2024

उ पा यु क्त,
पाकुड़।

Seen
23/6/2024

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.01.12 15:49:03 +05:30
Location: 192.168.1.100

Scanned with CamScanner